संख्या-98/2022/838/001-23-9-2022-1नाबार्ड(सेतु)-2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 2022

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में विभिन्न जनपदों के 04 सेतुओं के चालू कार्य के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उलिलखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 04 सेतुओं के चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-12 के अनुसार रू0 479.38 लाख(जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 377.71 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 101.67 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
									अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	814/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/BAR/2022-23 Dt-29-07-2022	बदायूं	जनपद बदायूं में नगरिया खनूं लालपुर खादर के मध्य रामगंगा नदी पर सेतु का निर्माण।	69/2020/230/23-9-2020-07नाबार्ड (सेतु/(2017, दि0 26.03.2020	4681.76	4447.56	0.00	234.2	184.43	49.65	234.08
2	961/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/LKO/2022-23 Dt-03-08-2022	रायबरेली	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड मॉवा में अहलवार एवं बघई के मध्य महराजगंज डेइन पर 5×6.00 मी0 स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड (सेतु/(2019, दि0 24.03.2020	271.26	257.7	0.59	12.97	10.22	2.75	12.97
3	962/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/GKP/2022-23 Dt-03-08-	कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में अहिरौली दान सम्पर्क मार्ग के लोकनहा घाट पर 3x6 मी0 स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं	12/2019/193/23-9-2019-24नाबार्ड(सेतु)/2018, दि0 01.03.2019	124.46	6.22	25.91	92.33	72.75	19.58	92.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
									अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022		अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।								
4	963/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/GON/2022-23 Dt- 03-08-2022	गोण्डा	जनपद गोण्डा में ग्राम पंचायत केशवनगर ग्रन्ट में बिसुही नदी पर 3x18 मी0 स्पान में लघु सेतु का निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08नाबार्ड(सेतु)/2020, दि0 27.03.2019	529.35	335.91	0.54	192.91	110.31	29.69	140.00
		योग							377.71	101.67	479.38

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक्पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,77,71,000 (रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,01,67,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

संख्या-98/2022/838(1)/001-23-9-2022-1नाबार्ड(सेतु)-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- संबंधित जिलाधिकारी ।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2

11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।